छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर (छत्तीसगढ़)

अधिसूचना

क्रमांक एफ 20–77/2019/11/6 रायपुर, दिनांक 5 नवंबर, 2019

राज्य शासन एतद् द्वारा "औद्योगिक नीति 2019–24" की कंडिका–15.23 एवं 15.12 में वर्णित प्रावधानों के अनुरूप निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों की स्थापना हेतु निम्नानुसार नियम दिनांक 01 नवंबर, 2019 से लागू करता है :–

1 **परिचय** –

राज्य में समग्र औद्योगिक विकास के लक्ष्य की पूर्ति हेतु औद्योगिक अधोसंरचना का विकास भी आवश्यक है। राज्य में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना का कार्य शासन एवं इसके उपक्रमों द्वारा ही किया जाता रहा है। वर्तमान परिवेश में औद्योगिक भूमि की बढ़ती हुई मांग को दृष्टिगत रखते हुए यह आवश्यक है कि औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना निजी क्षेत्र में भी कराने हेतु पहल की जावे। इससे जहां एक ओर राज्य के सभी क्षेत्रों में औद्योगिक विकास हो सकेगा वहीं इस विकास में निजी क्षेत्र की सहभागिता भी हो सकेगी। इसी उद्देश्य दृष्टिगत रखते हुए "औद्योगिक नीति 2019–24" में निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना का प्रावधान रखा है, जिसमें अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30% अधिकतम रूपये 5 करोड़ तक का अनुदान, स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट, भूमि के पंजीयन शुल्क में पूर्ण छूट एवं भू–पुर्ननिर्धारण कर में शतप्रतिशत छूट का प्रावधान है।

नीति की कंडिका 15.12 में नियत दिनांक के पश्चात् निजी क्षेत्र में स्थापित होने वाले समस्त औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों में स्थापित होने वाले नवीन भू–आबंटन प्राप्तकर्ता उद्योगों को अनुदान से संबंधित प्रकरणों में निर्धारित अनुदान के 10 प्रतिशत अधिक अनुदान देय होगा व अधिकतम सीमा भी 10 प्रतिशत अधिक होगी तथा छूट से संबंधित प्रकरणों में छूट की अवधि 1 वर्ष अधिक रखी गई है। साथ ही इन औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भी राज्य की प्रचलित औद्योगिक नीतियों एवं अधिसूचनाओं के तहत् औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता है।

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्कों की स्थापना से सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के औद्योगिक क्षेत्रों में प्रतिस्पर्धा की स्थिति निर्मित होगी, एवं शासकीय औद्योगिक क्षेत्रों पर दबाव कम हो सकेगा साथ ही इससे राज्य के कृषक/विकासकर्त्ता एवं उद्योगपति जिनके पास अधिक मात्रा में औद्योगिक अथवा अन्य प्रयोजन की भूमि उपलब्ध है, वह

निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना हेतु प्रोत्साहित होंगे व सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को भी युक्तियुक्त दरों पर औद्योगिक इकाई स्थापना हेतु भूमि प्राप्त होने में सुगमता होगी।

2 **शीर्षक** –

यह नियम **"छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना अनुदान नियम 2019"** कहे जायेंगे।

3 **कालावधि** –

यह नियम 1 नवम्बर, 2019 से प्रभावशील होंगे एवं इसकी कालावधि 31 अक्टूबर, 2024 तक होगी।

4 **पात्रता** –

औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु निम्नांकित अर्हताओं की पूर्ति आवश्यक होगी –

4.1 इन नियमों के तहत आवेदक कोई भी व्यक्ति, साझेदारी/कम्पनी/सीमित दायित्व साझेदारी/प्रमोटर/राज्य के एफपीओ/स्व सहायता समूह आवेदन कर सकता है।

4.2 आवेदक को **न्यूनतम 25 एकड़ एकमुश्त** वैध भूमि, परंतु **सरगुजा एवं बस्तर संभाग में न्यूनतम 20 एकड़** वैध भूमि की व्यवस्था करनी होगी।

4.3 आवेदक का आवेदन स्वीकृत होने पर ही पात्रता होगी।

5 **परिभाषाएं** –

5.1 **"भूमि"** से तात्पर्य है, निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवेदक के पास न्यूनतम 25 एकड़ भूमि (सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु न्यूनतम 20 एकड़ भूमि) का वैध आधिपत्य हो।

5.2 **"अधोसंरचनात्मक लागत"** से अभिप्रेत है व इसमें सम्मिलित है थ्वकासकर्त्ता के आधिपत्य में न्यूनतम भूमि पर भूमि विकास, औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग, औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के भीतर की आंतरिक सड़के, ड्रेनेज निर्माण, औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के भीतर/बाहर विद्यत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति एवं प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना पर किया गया व्यय।

टीपः– अधोसंरचना लागत में भूमि की लागत को (अधोसंरचना अनुदान प्रयोजन हेतु) सम्मिलित नहीं किया जावेगा।

5.3 **"भूमि विकास"** के अन्तर्गत सम्मिलित हैं औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु भूमि का समतलीकरण, गहरीकरण, बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग व इस मद में कुल अधोसंरचना लागत का 10 प्रतिशत से अधिक राशि मान्य नहीं की जावेगी।

5.4 **"पहुंच मार्ग"** से अभिप्रेत है ऐसी सड़क जो औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के निकटवर्ती मार्ग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क तक पहुंचने हेतु शासन के संबंधित विभागों/स्थानीय निकायों से अनुमति प्राप्त कर बनायी गयी हो बशर्ते कि शासन के किसी विभाग/उपक्रम/एजेंसी का कोई पहुंच मार्ग औद्योगिक क्षेत्र/पार्क तक न हो।

5.5 **"विद्युत आपूर्ति"** से अभिप्रेत है औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाली औद्योगिक इकाईयों को विद्युत आपूर्ति व्यवस्था हेतु डेव्लपर द्वारा छत्तीसगढ राज्य विद्युत वितरण/पारेषण कंपनी को भूगतान की गई राशि तथा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का आंतरिक विद्युतीकरण व बाह्य विद्युतीकरण, स्ट्रीट लाईट व्यवस्था एवं विद्युत उपकेंद्र/डी.जी. सेट पर किया गया व्यय।

टीप : (1) इस मद में भुगतान की गई राशि में सिक्यूरिटी डिपाजिट पुराने देयकों की राशि सम्मिलित नही की जावेगी।

(2) यदि केप्टिव पावर प्लांट की स्थापना औद्योगिक क्षेत्र पार्क में स्थापित उद्योगों को विद्युत आपूर्ति हेतु की जाती है तो उस पर किए गए निवेश को "विद्युत" के तहत मान्य नहीं किया जावेगा।

5.6 **"जल आपूर्ति"** से अभिप्रेत है औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों को **औद्योगिक क्षेत्र पार्क के बाहर/भीतर के स्त्रोतों से** जल आपूर्ति हेतु किया गया निवेश, जिसमें ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन एवं रेन वाटर हार्वेस्टिंग भी सम्मिलित है, (सिक्यूरिटी डिपाजिट व सबंधित विभागों के पुराने देयकों की राशि को छोडकर) यदि शासन के प्रशासकीय विभागों से अनुमति प्राप्त कर जल आपूर्ति हेतु व्यवस्था की गयी हो।

5.7 **"आंतरिक सड़कें"** से आशय है औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के भीतर निर्मित सड़कें ।

5.8 **"प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना"** से आशय है थ्वकासकर्त्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र पार्क की स्थापना हेतु विकसित की गई प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना व इसमें सम्मिलित है, प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम/पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर एवं कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, कोल्ड स्टोरेज, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र, वेब्रिज पार्किंग एरिया, वृक्षारोपण, पर्यावरण के संरक्षण हेतु किये गये उपाय, सामूहिक गोदाम एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं।

टीपः– प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना मद में कुल अधोसंरचना लागत का 20 प्रतिशत से अधिक व्यय मान्य नहीं किया जावेगा।

6 <u>प्रक्रिया</u> –

6.1 इस अधिसूचना के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करने हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग के समक्ष दो प्रतियों में (उपाबंध–1 अनुसार) प्रस्तुत करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेखों की प्रतियां भी **यथास्थिति यदि लागू हो** संलग्न करनी होगी –

1– आवेदक की वैयक्तिक जानकारी

2– आवेदक के विभिन्न औद्योगिक इकाईयों, व्यवसाय व सेवा से संबंधित जानकारी

3– विगत तीन वर्षों की बेलेन्स शीट

4– भूमि के स्वामित्व/आधिपत्य एवं नक्शा/भूमि की स्थिति

5– प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का संभावित ले–आउट प्लान/मानचित्र

6– प्रस्तावित औद्यागिक क्षेत्र/पार्क की विस्तृत परियोजना

7– परियोजना के स्रोतों से संबंधित जानकारी (बैंकों से ऋण/वित्तीय संस्थाओं से ऋण /स्वयं के स्त्रोत /अंशपूजी इत्यादि)

8– विगत 3 वर्षों में आयकर, उत्पाद शुल्क व वेटकर के भुगतान की जानकारी

6.2 आवेदन पत्र का परीक्षण उद्योग आयुक्त/संचालक की अध्यक्षता में गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जावेगा। जिसका प्रारूप निम्नानुसार होगा :–

1. आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ – अध्यक्ष
2. संबंधित जिले के कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
3. सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अधिकृत प्रतिनिधि, – सदस्य
4. संचालक, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, – सदस्य
5. स्थानीय निकायों के कार्यालय प्रमुख यथा नगर निगम/नगर पालिका/नगर पंचायत/ग्राम पंचायत – सदस्य
6. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि, – सदस्य
7. प्रबंध संचालक, छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि – सदस्य
8. मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि – सदस्य
9. अपर /संयुक्त संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ – सदस्य सचिव

समिति का कोरम 4 का होगा, जिस पर क्रमांक 4 पर अंकित अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र पार्क के स्थल का भ्रमण कर सकेगी व आवश्यकता पड़ने पर विशेषज्ञों की सेवाएं भी ले सकेगी। आवेदक से योजना का प्रस्तुतीकरण भी समिति के समक्ष लिया जा सकेगा।

समिति द्वारा यह परीक्षण किया जावेगा कि औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु जो स्थल प्रस्तावित किया गया है, वह औद्योगिक प्रयोजन/ निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं तथा उस क्षेत्र में निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की आवश्यकता है अथवा नहीं ।

6.3 उद्योग संचालनालय भी राज्य में किसी स्थान विशेष में निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु संबंधित स्थान विशेष में औद्योगिक प्रयोजन/ औद्योगिक विकास की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए अभिरूचि प्रस्ताव समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित कर आमंत्रित कर सकेगा।

6.4 अभिरूचि प्रस्तावों में भी आवेदक को निर्धारित प्रारूप में वांछित अभिलेखों सहित जानकारी देनी होगी।

6.5 जिन आवेदकों को भारत सरकार द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थापना हेतु स्वीकृति दी जा चुकी है। ऐसे आवेदकों को भी इस अधिसूचना के अंतर्गत राज्य शासन से स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।

6.6 इस अधिसूचना के अंतर्गत जिन आवेदकों द्वारा आवेदन सीधे प्रेषित किया है एवं अभिरूचि प्रस्तावों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण भी उपरोक्तानुसार समिति द्वारा किया जावेगा एवं सफल आवेदकों का चयन किया जावेगा/ सूचिबद्ध किया जावेगा व आवेदन प्राप्ति की अभिस्वीकृति उपाबंध–2 अनुसार जारी की जावेगी।

6.7 संचालक उद्योग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु स्थल उपयुक्त पाये जाने पर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जावेगा व शासन द्वारा औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना हेतु प्रशासकीय अनुमोदन दिया जावेगा। प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश उपाबंध–4 अनुसार जारी किया जावेगा।

जिनके प्रकरण निरस्त हुए है उनके निरस्तीकरण की सूचना उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा परीक्षणोपरांत दे दी जावेगी।

6.8 स्वीकृति आदेश में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु समस्त शर्तें/विकासकर्त्ता के अधिकार व दायित्वों एवं पार्क की स्थापना की अवधि व अन्य शर्तों का उल्लेख होगा। व इसके अतिरिक्त अधोसंरचना अनुदान वितरण के पूर्व विकासकर्त्ता एवं राज्य शासन के मध्य औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु एक अनुबंध का निष्पादन भी होगा। अनुबंध में भी औद्योगिक पार्क की स्थापना की शर्तें विकासकर्त्ता के अधिकार कर्तव्य एवं दायित्व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की अवधि एवं राज्य शासन के अधिकारों का उल्लेख होगा। राज्य शासन की ओर से यह अनुबंध उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा किया जावेगा। अनुबंध का पंजीयन भी किया जावेगा, एवं पंजीयन का व्यय विकासकर्त्ता द्वारा किया जावेगा।

7 <u>निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की शर्तें</u> –

7.1. भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना व्यपवर्तित कराना होगा।

7.2. भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त करना होगा।

7.3. नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना होगा।

7.4. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना होगा।

7.5. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7.6. शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेशानुसार निर्धारित उद्योगों को भूमि आबंटन करना होगा।

7.7. 25 एकड़/20 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों की स्थापना करना होगा।

7.8. स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा।

7.9 विकासकर्त्ता द्वारा राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा अनिवार्य होगा।

8– **<u>औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की मूलभूत आवश्यकताएं</u>** –

विकासकर्त्ता को प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में निम्नांकित अधोसंरचना विकसित करनी होगी :–

8.1 न्यूनतम 7 मीटर चौड़ी रोड (औद्योगिक क्षेत्र के पहुंच मार्ग हेतु) अथवा यथास्थिति नगर एवं ग्राम निवेश विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम मापदण्ड अनुसार।

8.2 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था।

8.3 उद्योगों की आवश्यकता के अनुरूप जल आपूर्ति व्यवस्था।

8.4 ड्रेनेज व्यवस्था व स्ट्रीट लाईट व्यवस्था।

8.5 औद्योगिक क्षेत्र में आंतरिक सड़कों का निर्माण।

8.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु आवश्यकतानुसार प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना का विकास।

9– **<u>निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के विकासकर्त्ता के अधिकार एवं दायित्व</u>** –

9.1 इन नियमों के तहत औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना करवानी होगी, जिसकी संख्या भूमि के कुल रकबे के आधार पर निर्धारित होगी। 25 एकड़/20 एकड़ भूमि का रकबा होने पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म, लघु व मध्यम/वृहद उद्योगों की स्थापना आवश्यक होगी, जिसमें न्यूनतम 8 इकाईयां उत्पादक (Manufacture) श्रेणी का होना आवश्यक होगा। भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की संख्या में भी वृद्धि होगी।

9.2 भूमि का आबंटन फ्री होल्ड/लीज होल्ड पर किया जा सकेगा, भूमि लीज की अवधि न्यूनतम 11 वर्ष की होगी। विकासकर्त्ता भूमि की प्रब्याजी दरों के

निर्धारण, लीज रेन्ट, संधारण शुल्क, स्ट्रीट लाईट शुल्क व अन्य शुल्कों के निर्धारण के लिए स्वतंत्र होगा।

9.3 विकासकर्त्ता को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश व इस संबंध में निष्पादित अनुबंध की समस्त शर्तों का पालन करना होगा।

9.4 विकासकर्त्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में किसी ऐसे उद्योग को भूमि आबंटित नहीं की जावेगी जिसे भारत सरकार अथवा राज्य शासन अथवा इनकी एजेंसियों द्वारा निःषिद्ध घोषित किया गया है।

9.5 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में जिन औद्योगिक इकाईयों/व्यवसाय व सेवा उपक्रमों को भूमि आबंटित की जावेगी उनके पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले विक्रय/लीज अभिलेखों में राज्य शासन के संबंधित विभागों के शर्तों के परिपालन की स्वीकृति का उल्लेख करना होगा।

9.6 विकासकर्त्ता औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के सुव्यवस्थित संचालन हेतु औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों के संगठन को अथवा अन्य किसी तृतीय पक्ष को दे सकेंगे।

9.7 विकासकर्त्ता को भी राज्य शासन की औद्योगिक नीति के अनुरूप पार्क की स्थापना व संचालन हेतु राज्य के मूल निवासियों को अकुशल श्रेणी में 100 प्रतिशत, कुशल श्रेणी में 70 प्रतिशत एवं प्रबंधकीय/ प्रशासकीय श्रेणी में 40 प्रतिशत न्यूनतम रोजगार प्रदान करना होगा।

9.8 विकासकर्त्ता को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क के निर्माण की अवधि में छमाही आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक को निर्माण की प्रगति से आवगत कराना होगा व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के पश्चात 5 वर्षो की अवधि तक औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्थिति विवरण भी प्रस्तुत करना होगा ।

9.9 विकासकर्त्ता को निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में भू–शेड आबंटन/भू–शेड हस्तांतरण/ भू–शेड निरस्तीकरण हेतु राज्य शासन के किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी।

9.10 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित उद्योगों को स्वामित्व परिवर्तन की सूचना संबंधित जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र तथा आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को देनी होगी।

9.11 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को प्रचलित औद्योगिक नीति एवं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के तहत् जारी अधिसूचनाओं के अंतर्गत स्वमित्व परिवर्तन/स्थान परिवर्तन आदि की अनुमति उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ से प्राप्त करनी होगी।

9.12 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को भूमि शेड/उद्योग के विक्रय हेतु विकासकर्त्ता सें किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। विकासकर्त्ता को केवल हस्तांतरण शुल्क ही देय होगा। यह हस्तांतरण शुल्क सीएसआईडीसी / उद्योग विभाग द्वारा लिये जाने वाले हस्तांतरण शुल्क से कम नहीं होगा।

9.13 विकासकर्त्ता इस योजना के अंर्तगत लाभ प्राप्त कर विकसित अधोसंरचना की लागत में निहित मदों का विक्रय निजी औद्योगिक क्षेत्र/ पार्क प्रारंभ होने के 10 वर्षों की अवधि तक नहीं कर सकेगा तथा इस अवधि के पश्चात् आयुक्त/संचालक उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

9.14 निजी औद्योगिक क्षेत्र का संधारण विकासकर्त्ता को या तो स्वयं अथवा किसी अन्य तृतीय पक्ष के माध्यम से अनिवार्यतः करना होगा।

10– औद्योगिक क्षेत्र/ औद्योगिक पार्क की स्थापना की अवधि –

विकासकर्त्ता को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु स्वीकृति आदेश जारी होने के दिनांक से निम्नांकित समयावधि में कार्यवाही पूर्ण करनीं होगी :–

10.1 स्वीकृति आदेश जारी होने के तीन माह के भीतर भूमि की व्यवस्था।

10.2 स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना।

10.3 उपरोक्त कंडिका 10.2 के अनुसार निर्धारित अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर इन नियमों के अंर्तगत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा गुण–दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम **6 माह** की वृद्धि करने के संबंध में निर्णय ले सकेगा।

10.4 उपरोक्त कंडिका 10.3 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना न होने पर छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग गुण–दोष के आधार पर उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में एक बार, अधिकतम 6 माह की वृद्धि, कुल देय अनुदान राशि में से **20 प्रतिशत** की कटौती के साथ करने के संबंध में निर्णय ले सकेगा।

10.5 विलंब की अवधि एक वर्ष से अधिक होने की स्थिति में, इन नियमों के अंर्तगत गठित राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रकरण के गुण–दोष के आधार पर शेष अनुदान राशि के पूर्ण/अंशिक देय होने, अनुबंध निरस्त करने तथा भुगतान हो चुकी राशि, को भू–राजस्व बकाया के रूप में वापसी की प्रक्रिया के रूप में किये जाने का निर्णय ले सकेगी।

11– औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता व प्रक्रिया –

11.1 इन नियमों के अन्तर्गत राज्य शासन द्वारा स्वीकृत निजी औद्योगिक क्षेत्रों/ पार्कों की स्थापना होने पर (क्षेत्रफल न्यूनतम 25 एकड़, परंतु सरगुजा एवं बस्तर संभाग हेतु न्यूनतम 20 एकड़) नियमानुसार अधिसूचनाओं के अधीन विकासकर्त्ता को निम्नानुसार अनुदान/छूट दी जा सकेगी :–

1. **अधोसंरचना लागत अनुदान –**

न्यूनतम 25 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क निर्मित होने की स्थिति में अधोसंरचना अनुदान, अधोसंरचना लागत (भूमि को छोड़कर) का 30 प्रतिशत अधिकतम रूपये 500 लाख,

परंतु सरगुजा एवं बस्तर संभाग में न्यूनतम 20 एकड़ भूमि तथा 25 एकड़ से कम भूमि पर निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क निर्मित होने की स्थिति में उपलब्ध भूमि के आधार पर अधिकतम अनुदान राशि में समानुपातिक कमी करते हुए अनुदान देय होगा।

अनुदान कंडिका 11.3 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार दिया जायेगा।

2. भू–पुर्ननिर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में पूर्ण छूट
3. स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट
4. पंजीयन शुल्क से पूर्ण छूट

<u>टीप :–</u> यदि विकासकर्त्ता को औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त है एवं भारत सरकार से अनुदान की स्वीकृति यदि राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुदान से अधिक है तो राज्य शासन अधोसंरचना अनुदान की पात्रता नहीं होगी किन्तु , यदि भारत सरकार द्वारा स्वीकृत अनुदान की राशि राज्य शासन के अनुदान से कम है तो अंतर की राशि अधोसंरचना अनुदान राशि के रूप में दी जावेगी।

11.2 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित होने वाले उद्योगों को अनुदान/छूट–

1. निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों में स्थापित होने वाले उद्योगों को भू आबंटन पर राज्य शासन द्वारा भू प्रब्याजी में कोई छूट/रियायत नहीं दी जावेगी।
2. उपरोक्त (1) में स्थापित होने वाले उद्योगों को उद्योग स्थापना पर औद्योगिक निवेश हेतु आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की समस्त अनुदान, छूट व रियायतें (भू–प्रब्याजि में छूट को छोड़कर) प्राप्त होगी जो तत्समय में प्रचलित औद्योगिक नीतियों में प्रावधानित है (यथास्थिति जो लागू हो) संबंधित अधिसूचनाओं के अधीन प्राप्त होगी।

11.3 <u>अधोसंरचना अनुदान की प्रक्रिया</u> :–

1. अधोसंरचना अनुदान हेतु औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारंभ होने के पश्चात उपाबंध–5 में निर्धारित प्रारूप में आवेदन उद्योग संचालनालय में जमा करना होगा। आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित अभिलेख संलग्न करने होंगे :–

(अ) उपाबंध –7 अनुसार चार्टर्ड एकाउंटेड का निवेश प्रमाण पत्र ।
(ब) उपाबंध–8 अनुसार चार्टर्ड इंजीनियर का वेल्यूवेशन प्रमाण पत्र।

(स) उपाबंध–9 अनुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किया गया व्यय एवं कुल अधोसंरचना लागत के पूर्णता प्रतिशत से संबंधित प्रमाण पत्र व चार्टर्ड एकाउंटेड द्वारा सत्यापित/प्रमाणित व्यय सूची ।

2. अधोसंरचना अनुदान की स्वीकृति व वितरण तीन किस्तों में किया जावेगा।

(अ) प्रथम किस्त 40 प्रतिशत (कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 3 उद्योगों/गतिविधि को भूमि आवंटन/विक्रय पर, कुल परियोजना का 40 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 21 माह के भीतर करना होगा)

(ब) द्वितीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर एवं न्यूनतम 7 उद्योगों द्वारा उत्पादन प्रारंभ किये जाने पर, कुल परियोजना का 70 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 25 माह के भीतर करना होगा)

(स) तृतीय किस्त 30 प्रतिशत (कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने पर, एवं न्यूनतम 10 उद्योगों को भूमि आबंटन/विक्रय तथा 7 उद्योगों द्वारा उत्पादन/गतिविधि प्रारंभ करने पर)। कुल परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य स्वीकृति आदेश के जारी होने के दिनांक से 30 माह के भीतर करना होगा।

टीप – निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण न होने पर अधोसंरचना लागत अनुदान की तृतीय किश्त 30 प्रतिशत राशि जारी नहीं की जावेगी व यह राशि तब मुक्त की जावेगी, जब परियोजना का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो जाये।

परंतु यदि कंडिका 10.3 एवं 10.4 के अनुसार बढ़ाई गई अवधि उक्त 30 माह के अतिरिक्त प्रदत्त मान्य की जावेगी। इस निर्धारण में कंडिका 10.5 भी, यथा आवश्यक, लागू होगी।

3. राष्ट्रीयकृत/अधिसूचित बैंक अथवा भारतीय रिजर्व बैंक अधिसूचना वित्तीय संस्थाओं द्वारा वित्त पोषित परियोजनाओं को ही अनुदान की पात्रता होगी।

4. अधोसंरचना अनुदान का क्लेम प्रकरण उद्योग संचालनालय छत्तीसगढ़ में प्राप्त होने पर इसका परीक्षण किया जावेगा व आवेदन पत्र का पंजीयन कर पंजीयन क्रमांक देते हुए अभिस्वीकृति उपाबंध–6 अनुसार की जावेगी

5. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु किये गये व्ययों के संबंध में उद्योग आयुक्त/संचालक संचालनालय छत्तीसगढ़ उद्योग द्वारा स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट विभाग के उपक्रम छत्तीसगढ़ स्टेट इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन/राज्य शासन के निर्माणी कार्यालयों से ली जा सकेगी ।

6. स्टेटस रिपोर्ट/वेल्यूएशन रिपोर्ट के आधार पर उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग द्वारा उपरोक्त क्रमांक (2) अनुसार स्वीकृति आदेश जारी किये जावेंगे।

7 उद्योग संचालनालय द्वारा अधोसंरचना अनुदान स्वीकृति के क्रम के आधार पर बजट में राशि की उपलब्धता होने पर वितरण किया जावेगा। बजट उपलब्धता के अभाव में अनुदान की राशि देने में विलंब होने पर विभाग का कोई दायित्व नहीं होगा।

8. बजट आबंटन उपलब्ध होने पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा संबंधित वित्तीय संस्था /बैंक को अनुदान की राशि सीधे ध्वकासकर्त्ता के ऋण खाते में जमा करने हेतु आर.टी.जी.एस. (रियल टाइम ग्रास सेटलमेंट) पद्धति अथवा तत्समय इकाई के खाते में सीधे अनुदान जमा करने की पद्धति अनुसार प्रेषित की जावेगी जिसे सबंधित वित्तीय संस्था /बैंक द्वारा तुरंत औद्योगिक इकाई के ऋण खाते में जमा करना होगा।

11.4 **अनुदान/छूट/रियायतें –**

इन नियमों के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पात्रता, पूर्वानुमति से 25 एकड़ से अधिक भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क निर्मित होने की स्थिति में अधिकतम 25 एकड़/20 एकड़ (यथा लागू) तक की सीमा में किए गए विकास हेतु ही समस्त अनुदान/छूट/रियायतें इत्यादि के पात्र होंगे। इस संबंध में राज्य स्तरीय समिति का निर्णय अंतिम होगा।

12. **अपील /वाद** –

(1) राज्य स्तरीय समिति अथवा आयुक्त/संचालक उद्योग, संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग को आदेश संसूचित किये जाने के दिनांक से 45 दिवसों के भीतर अपील की जा सकेगी। यदि किसी प्रकरण में अपील प्रस्तुत किये जाने में विलंब होता है तो भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग ऐसे विलंब को विचारोपरांत शिथिल करने पर विचार एवं निर्णय कर सकेगा।

(2) इन नियमों के अंर्तगत कोई भी अपील शुल्क रूपये 5000/–(यथा लागू कर अतिरिक्त) का भुगतान करने पर ही स्वीकार होगी। विलंब से प्राप्त होने वाली अपील हेतु मूल अपील शुल्क से दो गुना अपील शुल्क देय होगा।

(3) अनुसूचित जाति/जनजाति, निःशक्त/नक्सलवाद से प्रभावित परिवार/व्यक्ति से संबंधित प्रकरणों में कोई अपील शुल्क देय नहीं होगा ।

13 **अद्योसंरचना अनुदान की वसूली** –

13.1 विकासकर्त्ता के पक्ष में अनुदान की स्वीकृत राशि भुगतान हो जाने के पश्चात यह पाया जाता है कि विकासकर्त्ता द्वारा कोई तथ्य छुपाये गये है/तथ्यों को गलत ढंग से प्रस्तुत किया गया है या सही जानकारी प्रस्तुत नहीं की गई है व इस प्रकार गलत तरीके से अनुदान स्वीकृत हुआ है/अनुदान प्राप्त किया गया है ।

13.2 विकासकर्त्ता द्वारा राज्य के मूल निवासियों को निर्धारित प्रतिशत में रोजगार उपलब्ध कराने के पश्चात यदि बाद में रोजगार से वंचित किया जाता है व इस कारण अकुशल, कुशल व प्रबंधकीय/प्रशासकीय वर्ग में दिये जाने वाले रोजगार का प्रतिशत उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 9.7 में उल्लेखित प्रतिशत (न्यूनतम सीमा) से कम हो जाता है ।

13.3 निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित प्रगति/सुविधाओं को दर्शाने वाला स्थिति विवरण उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ को पार्क की स्थापना से 5 वर्ष की अवधि तक निरंतर/नियमित तौर पर उपलब्ध नहीं कराई जावे ।

13.4 यदि विकासकर्त्ता को पात्रता से अधिक अनुदान की प्राप्ति हो गई हो ।

13.5 यदि विकासकर्त्ता द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात बीच अवधि में छोड़ दिया जाता है/ क्रियान्वयन नहीं किया जाता है ।

13.6 औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना का कार्य बीच में छोड़ देने अथवा नहीं करने पर दी गई छूट {स्टाम्प शुल्क से छूट, पंजीयन शुल्क से छूट, भू निर्धारण कर (डायवर्सन शुल्क) में छूट} के समतुल्य राशि की वसूली नियमों के अंर्तगत उल्लेखित अनुसार मय ब्याज के की जावेगी ।

13.7 उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 13.1 से 13.6 के अनुसार आयुक्त/संचालक, उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ द्वारा सुनवाई पश्चात स्वीकृति आदेश के निरस्तीकरण आदेश जारी किये जायेगें /निरस्तीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावेगी एवं दी गई छूट के समतुल्य राशि व अनुदान राशि 12% वार्षिक साधारण व्याज के साथ वसूल की जावेगी ।

13.8 वसूल की जाने वाली राशि भू–राजस्व के बकाया की वसूली के सदृश्य भी की जा सकेगी ।

13.9 इन नियमों की कंडिका 10.5 के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यवाही, यदि कोई हो तो, की जा सकेगी ।

14 <u>स्वप्रेरणा से निर्णय</u> :–

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अथवा अधोसंरचना अनुदान के संबंध में भारसाधक सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग किसी भी अभिलेख को बुला सकेगें तथा ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा कि वे नियमानुसार उचित समझें परन्तु अनुदान को निरस्त करने, या उसमें कमी करने के पूर्व, प्रभावित पक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जावेगा। शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो प्रभावित पक्षकारों के लिए बंधनकारी होगा।

15 इस योजना के अर्न्तगत कोई वाद होने पर छत्तीसगढ़ राज्य के न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा ।

16 नियमों की व्याख्या, अनुदान की पात्रता या अन्य विवाद की दशा में भी छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

17 योजना का क्रियान्वयन, मूल्यांकन

17.1 निजी क्षेत्र में स्वीकृत औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना से संबंधित कठिनाईयां एवं समस्याओं का निराकरण राज्य निवेश प्रोत्साहन बोर्ड के संचालक मंडल में माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में की जावेगी।

17.2 निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्रों की समीक्षा/मानीटरिंग छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा की जावेगी व उद्योग हित में नियमों में परिवर्तन/संशोधन किया जा सकेगा।

17.3 योजना का क्रियान्वयन उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़ एवं उनके अधीनस्थ जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा किया जावेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(मनोज कुमार पिंगुआ)
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग

"छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2019"

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक की स्थापना हेतु आवेदन का प्रारूप

1– **आवेदक का नाम व पता –**

2– **आवेदक का संगठन –**

3– **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल –**

1 स्थान
2 विकास खण्ड
3 जिला

4– **पंजीयन**

1– जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन
2– भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन
3– स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/प्रस्ताव

5– आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक –

6– आवेदक के बैंक खाते –

7– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्रस्तावित दिनांक –

8– **योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)**

क्र0	विवरण	राशि
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा .....)	
(2)	**भूमि विकास**	
	भूमि का समतलीकरण	
	भूमि का गहरीकरण	
	बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग	
	योग	
(3)	**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग**	
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)	
	आंतरिक विद्युतीकरण,	
	बाह्य विद्युतीकरण	
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,	
	विद्युत उपकेंद्र	
	केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
	अन्य	
	योग	
(5)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर)	
	ओवर हेड टैंक,	
	पंप हाउस,	
	पाईप लाईन,	
	रेन वाटर हार्वेस्टिंग	
	अन्य	
	योग	

(6)	**प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** प्रशासकीय भवन, बैंक / एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना / पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, कैंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण / विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर / मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य योग –	
	महायोग–	

9– **योजना / सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–**

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

10– औद्योगिक क्षेत्र / पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों / सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)–

11– संभावित विद्युत भार–

12– आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी –

13– भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र / पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति / आवेदन, यदि हो तो –

स्थान–
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
आवेदक / कंपनी का नाम व पता

"छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2019"

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–77/2019/11/6 दिनांक .....नवंबर 2019 के अन्तर्गत)

//शपथ पत्र//

मैं ..... (शपथकर्ता का नाम एवं पदनाम), श्वकासकर्त्ता का नाम ..... शपथपूर्वक यह घोषणा करता हूं व यह शपथ पत्र देने के लिए ..... की ओर से अधिकृत हॅ कि –

1– आवेदन पत्र में दी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है व किसी तथ्यों को नहीं छुपाया गया है।

2– छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना के नियमों का अध्ययन कर लिया है, इस बाबत स्वीकृति आदेश व निष्पादित अनुबंध की कंडिकाओं का पूर्ण पालन किया जावेगा।

3– विकासकर्त्ता द्वारा भारत सरकार/छत्तीसगढ़ शासन के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु कोई आवेदन नहीं किया है एवं न ही अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।.

या

विकासकर्त्ता द्वारा भारत सरकार/ छत्तीसगढ़ शासन के किसी विभाग/वित्तीय संस्थाओं/मंडल/बोर्ड/निगम में अधोसंरचना लागत अनुदान हेतु आवेदन किया है/अनुदान स्वीकृत/वितरित हुआ है ।

5– उपरोक्त जानकारी गलत/त्रुटिपूर्ण/मिथ्या पाये जाने पर अन्यथा किसी भी बिंदु का उल्लंघन पाये जाने पर स्वीकृतकर्ता अधिकारी द्वारा अनुदान राशि की वसूली के मांग पत्र पर प्राप्त अनुदान की राशि मय 12 प्रतिशत ब्याज के साथ 15 दिवसों की अवधि में वापस की जावेगी।

स्थान –
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
आवेदक/कंपनी का नाम व पता

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

"छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2019"

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–77/2019/11/6 दिनांक .....नवंबर 2019 के अन्तर्गत)

(अभिस्वीकृति)

मेसर्स ..... पता.....
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना .....
..... में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,
मेसर्स.....
.....
.....

"उपाबंध–03"

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

"छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2019"

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–77/2019/11/6 दिनांक .....नवंबर 2019 के अन्तर्गत)

(अभिस्वीकृति)

मेसर्स ..... पता.....
द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना.....में करने के संबंध में अधोसंरचना अनुदान क्लेम..... में करने हेतु पूर्ण आवेदन दिनांक..... (अक्षरी)..... को प्राप्त हुआ है । प्रकरण का पंजीयन क्रमांक ..... है ।
(भविष्य में पत्राचार में इस पंजीयन क्रमांक का उल्लेख करें)

स्थान
दिनांक

हस्ताक्षर
सक्षम प्राधिकारी / कार्यालय की
सील

प्रति,
मेसर्स.....
.....
.....

छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर, अटल नगर
रायपुर(छत्तीसगढ़)

(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 20–77/2019/11/6 दिनांक .....नवंबर 2019 के अन्तर्गत)

———00000———

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा अधिसूचित "**छत्तीसगढ़ निजी औद्योगिक क्षेत्रों/पार्कों की स्थापना योजना नियम 2019**" के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये इन नियमों के अधीन ..... स्थान पर (नक्शा संलग्न) औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना की स्वीकृति निम्नांकित शर्तों पर दी जाती है :–

1 न्यूनतम 25 एकड़/20 एकड़ भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना करनी होगी। (यथास्थिति जो लागू हो)

2 भूमि का प्रयोजन औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना औद्योगिक प्रयोजन हेतु करवाना होगा ।

3 भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक होने पर पर्यावरणीय क्लीयरेंस प्राप्त होगा करना ।

4 नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग से औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का अभिन्यास अनुमोदन करवाना होगा।

5 छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल से जल एवं वायु पर्यावरण संरक्षण एवं नियंत्रण अधिनियमों के अधीन औद्योगिक क्षेत्र/औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु सम्मति प्राप्त करना/संचालन सहमति प्राप्त करना।

6 पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत शासन, राज्य शासन के छत्तीसगढ़ पर्यावरण एवं संरक्षण मंडल, नगर एवं ग्रामीण निवेश विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के संबंध में लगायी गई शर्तों का पालन करना होगा।

7 शासन द्वारा जारी स्वीकृति आदेश में निर्धारित उद्योगों को भूमि आबंटन करना।

8 20 एकड़ की भूमि के रकबे पर न्यूनतम 10 सूक्ष्म/लघु/मध्यम/वृहद उद्योगों की स्थापना करना भूमि के रकबे में वृद्धि होने पर समानुपात में उद्योगों की स्थापना संख्या में भी वृद्धि होगी।

9 स्वीकृति आदेशानुसार औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना स्वीकृति आदेश जारी होने के 30 माह के भीतर करना होगा।

10 विकासकर्त्ता को राज्य शासन के संबंधित विभागों के नियमों का पालन किया जावेगा।

11 औद्योगिक क्षेत्र हेतु निर्धारित मापदंडों का पालन करना होगा।

12 पार्क की स्थापना के संबंध में स्वयं का व्यय पर अनुबंध का निष्पादन कराना होगा।

13 अधिसूचना व अनुबंध में निहित विकासकर्त्ता के दायित्वों का पालन करना आवश्यक होगा।

14 इन नियमों के अंर्तगत जारी इस स्वीकृति आदेश के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित न होने पर अथवा किसी बिंदु पर विवाद की स्थिति में छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का निर्णय सर्वोपरि एवं सभी पक्षों को पालनीय होगा।

प्रमुख सचिव/विशेष सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, नवा रायपुर

निजी क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान का क्लेम आवेदन पत्र

1– **आवेदक का नाम व पता –**

2– **आवेदक का संगठन –**

3– **प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र/पार्क स्थल –**

1 स्थान

2 विकास खण्ड

3 जिला

4– **पंजीयन**

1– जीएसटी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन

2– भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956/साझेदारी अधिनियम 1932/सहकारी समिति के अन्तर्गत पंजीयन

3– स्थानीय निकायों का औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र/

5– आवेदक का पेनकार्ड क्रमांक –

6– आवेदक के बैंक खाते –

7– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना दिनांक –

8– **योजना/सकल पूंजीगत लागत (राशि लाखों में)**

क्र0	विवरण	राशि
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा .....)	
(2)	**भूमि विकास**	
	भूमि का समतलीकरण	
	भूमि का गहरीकरण	
	बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग	
	योग	
(3)	**औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग**	
(4)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को छोड़कर)	
	आंतरिक विद्युतीकरण,	
	बाह्य विद्युतीकरण	
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,	
	विद्युत उपकेंद्र	
	केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश	
	अन्य	
	योग	

क्र0	विवरण	राशि
(5)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को छोड़कर) ओवर हेड टैंक, पंप हाउस, पाईप लाईन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग अन्य योग	
	प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना	
(6)	प्रशासकीय भवन, बैंक/एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना/पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण/विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर/मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य योग –	
	महायोग–	

9– योजना/सकल पूंजीगत लागत के स्त्रोत–

1– स्वंय के स्त्रोत

2– अंश पूंजी

3– ऋण

अ– वित्तीय संस्थाओं से ऋण

ब– बैंकों से ऋण

4– योग

10– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क में स्थापित किये जाने वाले संबंधित उद्योगों, व्यवसायों/सेवा उपक्रमों की संख्या व संभावित रोजगार (प्रोजेक्ट रिपोर्ट संलग्न की जावे)–

11– संभावित विद्युत भार–

12– आवेदक के अन्य उद्योग, व्यवसाय व उपक्रमों की जानकारी –

13– भारत सरकार की किसी योजना के तहत् औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु प्राप्त स्वीकृति/आवेदन, यदि हो तो –

14– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना व संचालन में प्रदत्त रोजगार –

श्रम वर्ग	रोजगार क्षमता	प्रदत्त रोजगार	राज्य के मूल निवासियों को दिया गया रोजगार	प्रदत्त रोजगार में राज्य के मूल निवासियों को दिये गये रोजगार का प्रतिशत
1	2	3	4	5
अकुशल वर्ग				
कुशल वर्ग				
प्रबंधकीय/ प्रशासकीय वर्ग				
योग				

स्थान–
दिनांक –

अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर
नाम
पद
आवेदक/कंपनी का नाम व पता

उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अंतर्गत
(छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की
अधिसूचना क्र एफ 20–77/2019/11/6 दिनांक .....नवंबर 2019 के अन्तर्गत)

स्वीकृति आदेश

छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग की अधिसूचना कमांक ..... दिनांक ..... द्वारा अधिसूचित "**छत्तीसगढ़ राज्य निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना के अनुदान नियम 2019**" के नियम क्रमांक "....." के तहत् प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए निम्नानुसार **निजी औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसंरचना अनुदान** के भुगतान की वित्तीय स्वीकृति एतद् द्वारा जारी की जाती है ।

1– विकासकर्त्ता का नाम व पता

2– औद्योगिक क्षेत्र/पार्क का कार्यस्थल–

(स्थान, विकास खंड व जिला)

3– पंजीयन क्रमांक

4– 1. अनुमोदित परियोजना लागत –

2. वास्तवित परियोजना लागत–

2.1 वास्तवित परियोजना लागत का 40 प्रतिशत कार्यपूर्ण –

2.2 वास्तवित परियोजना लागत का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण –

2.3 वास्तवित परियोजना लागत का 100 प्रतिशत कार्य पूर्ण –

5– स्वीकृत अधोसंरचना अनुदान राशि :–

3.1 प्रथम किस्त– 40 प्रतिशत
3.2 द्वितीय किस्त– 30 प्रतिशत
3.3 तृतीय किस्त– 30 प्रतिशत

6– यह राशि वित्तीय वर्ष– ..... के निम्न बजट शीर्ष में विकलनीय होगी –

.....

.....

7– यह स्वीकृति इन शर्तों के अधीन है कि औद्योगिक इकाई को अधिसूचना की समस्त कंडिकाओं का पालन करना होगा एवं कंडिकाओं के उल्लंघन पर स्वीकृति आदेश निरस्तीकरण योग्य होगा ।

उद्योग आयुक्त/संचालक उद्योग
उद्योग संचालनालय, छत्तीसगढ़

(चार्टर्ड एकाउण्टेंट का प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

(लेटर हैड पर मूल प्रति में)

(इन नियमों के बिंदु क्रमांक – 11.3(1(अ)) के अंर्तगत प्रावधानित)

नाम ..... जिसका पंजीकृत पता ..... है व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क..... में स्थित है, व पार्क प्रारंभ करने का दिनांक.....(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक.....है। स्वीकृत आदेश क. ..... दिनांक.....से .....अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. ..... के विरूद्ध ..... किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन ..... के लेखा पुस्तको/बिल बाउचर/भुगतान से संबंधित अभिलेखों के मिलान व सत्यापन के पश्चात् किया गया है:–

क0	विवरण	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश.....के जारी होने के दिनांक से दिनांक ..... तक की गई अधोसंरचना लागत रूपयों में	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना से संबंधित स्वीकृति आदेश..... के जारी होने के दिनांक से दिनांक ..... तक की गई अधोसंरचना लागत वास्तविक भुगतान राशि
1.	2.	3.	4.
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा .....)		
	भूमि विकास		
	भूमि का समतलीकरण		
	भूमि का गहरीकरण		
	बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग		
	योग		
	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग		
(2)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी डिपोजिट व पुराने देय राशि को		
(3)	छोड़कर)		
	आंतरिक विद्युतीकरण,		
	बाह्य विद्युतीकरण		
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,		
	विद्युत उपकेंद्र		
	केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर किया गया निवेश		
	अन्य		
	योग		
	जल आपूर्ति निवेश –(सिक्युरिटी डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को		
(4)	छोड़कर)		
	ओवर हेड टैंक,		
	पंप हाउस,		
	पाईप लाईन,		

	रेन वाटर हार्वेस्टिंग अन्य योग **प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** (5) प्रशासकीय भवन, बैंक / एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना / पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण / विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर / मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फलूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य योग –		
	महायोग:–		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड एकाउण्टेंट का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता क्रमांक

Scanned by CamScanner

(चार्टर्ड इंजीनियर / एप्रूव्ड वेल्यूवर का प्रमाण–पत्र का प्रारूप)

(लेटर हैड पर)

(इन नियमों के बिंदु क्रमांक – 11.3(1(ब)) के अंर्तगत प्रावधानित)

नाम ..... जिसका पंजीकृत पता ..... है व औद्योगिक क्षेत्र/पार्क..... में स्थित है, व पार्क प्रारंभ करने का दिनांक.....(40 प्रतिशत कार्यपूर्ण/70 प्रतिशत कार्य पूर्ण/100 प्रतिशत कार्य पूर्ण, दिनांक.....है। स्वीकृत आदेश क. .....दिनांक..... .....से .....अवधि तक कुल परियोजना लागत रू. .....के विरूद्ध .... किया गया अधोसंरचना लागत निम्नानुसार प्रमाणित किया जाता है, यह प्रमाणन.....पर आधारित है। जिसका सत्यापन स्थल निरीक्षण उपरांत मेरे द्वारा किया गया है।

क0	विवरण	मात्रा	लागत
1.	2.	3.	5.
(1)	**भूमि** – (भूमि का रकबा .....)		
	भूमि विकास		
	भूमि का समतलीकरण		
	भूमि का गहरीकरण		
	बाउंड्रीवाल/वायर फेसिंग		
	योग		
	औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग		
(2)	**विद्युत आपूर्ति निवेश** – (सेक्यूरीटी		
	डिपोजिट व पुराने देय राशि को		
(3)	छोड़कर)		
	आंतरिक विद्युतीकरण,		
	बाह्य विद्युतीकरण		
	स्ट्रीट लाईट व्यवस्था,		
	विद्युत उपकेंद्र		
	केप्टिव विद्युत संयत्र की स्थापना पर		
	किया गया निवेश		
	अन्य		
	योग		
(4)	**जल आपूर्ति निवेश** –(सिक्युरिटी		
	डिपॉजिट व पुरानी देय राशि को		
	छोड़कर)		
	ओवर हेड टैंक,		
	पंप हाउस,		
	पाईप लाईन,		
	रेन वाटर हार्वेस्टिंग		
	अन्य		
	योग		

(5)	**प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना** प्रशासकीय भवन, बैंक / एटीएम पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना / पुलिस चौंकी, फायर ब्रिगेड, केंटीन, कान्फ्रेन्स हाल, ट्रेनिंग सेन्टर, श्रमिक कल्याण / विश्राम केन्द्र, क्लीनिक, पूजा घर / मंदिर कॉमन फेसलीटी सेंटर जैसे टेस्टिंग एवं डिजाइन सेंटर, इन्फ्लूएंट ट्रीटमेंट प्लांट, रॉ–मटेरियल डिपो, प्रोडक्ट डिस्प्ले सेंटर, सूचना केंद्र अन्य योग –		
	महायोगः–		

स्थान :
दिनांक

चार्टर्ड इंजीनियर का नाम व पता
सील
हस्ताक्षर
सदस्यता कमांक

औद्योगिक क्षेत्र/पार्क की स्थापना हेतु अधोसरंचना अनुदान योजना के अन्तर्गत

निवेश की सूची (मूलप्रति)

(इन नियमों के बिंदु क्रमांक – 11.3(1(स)) के अंतर्गत प्रावधानित)

1. भूमि
2. भूमि विकास
3. औद्योगिक क्षेत्र/पार्क हेतु पहुंच मार्ग
4. विद्युत आपूर्ति निवेश
5. जल आपूर्ति निवेश
6. प्रशासकीय व अन्य बुनियादी अधोसंरचना

क्र.	दिनांक	विक्रेता का नाम व पता	विवरण (जिस मद मे निवेश / व्यय किया गया है)	देयक क्रमांक/ चालान क्रमांक	राशि

(1)

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
आवेदक इकाई का नाम
व पता

(2)

स्थान–
दिनांक–

हस्ताक्षर
नाम व पता
सील
पंजीयन कमांक व दिनांक

टीप:– 1– सूची तिथिवार व मदवार क्रम से होना चाहिये ।
3– सूची का प्रमाणन आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा किया जाये ।
4– निवेश /व्यय शीर्ष हेतु पृथक–पृथक सूची प्रस्तुत की जावे–
5– सूची का प्रत्येक पृष्ठ प्रमाणित व आवेदक इकाई व चार्टर्ड एकाउण्टेट के हस्ताक्षर युक्त हो ।